



गन्ना उद्योग विभाग
बिहार सरकार

राज्य योजना अंतर्गत
**गन्ना की खेती में
जैविक उपादानों के उपयोग
को प्रोत्साहन योजना**

वित्तीय वर्ष 2026-27

मार्गदर्शिका

• स्वस्थ मृदा • समृद्ध किसान • गुणवत्तापूर्ण गन्ना • सतत विकास



स्वस्थ मृदा



समृद्ध किसान



गुणवत्तापूर्ण गन्ना



सतत विकास

अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट पर जाएँ



<https://ccs.bihar.gov.in/>

बिहार सरकार
गन्ना उद्योग विभाग

ज्ञाप संख्या-1/विकास-यो0-240/2026 1684/50

पटना, दिनांक- 11 सितम्बर, 2026

प्रेषक,

अनिल कुमार झा, भा.प्र.से.,
ईखायुक्त, बिहार।

सेवा में,

सहायक निदेशक, ईख विकास,
गोपालगंज/बेतिया/मोतीहारी/सीतामढ़ी/
सिवान/समस्तीपुर/भागलपुर/पूर्णिया/गया/दरभंगा/भोजपुर/
मुजफ्फरपुर/जमुई/सहरसा/पटना एवं बगहा।

विषय:- वित्तीय वर्ष 2026-27 में राज्य योजना अंतर्गत " गन्ना की खेती में जैविक उपादान के उपयोग को प्रोत्साहन की योजना " के कार्यान्वयन हेतु मार्गदर्शिका के प्रेषण के संबंध में।

प्रसंग:- विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-169 स्वी० दिनांक-29.07.2026.

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन स्वीकृत्यादेश के क्रम में वित्तीय वर्ष 2026-27 में राज्य योजना अंतर्गत " गन्ना की खेती में जैविक उपादान के उपयोग को प्रोत्साहन की योजना " के कार्यान्वयन संबंधी मार्गदर्शिका संलग्न की जा रही है। विभागीय स्वीकृत्यादेश एवं अनुवर्ती संलग्न मार्गदर्शिका के प्रावधान के अनुरूप योजना का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाय।

2. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

अनुलग्नक:- यथोक्त :

विश्वसभाजन

ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञाप संख्या-01/विकास-यो0-240/2026-1684/50 पटना, दिनांक- 11 सितम्बर, 2026

प्रतिलिपि- कोषागार पदाधिकारी, गोपालगंज/बेतिया/मोतीहारी/सीतामढ़ी/सिवान/समस्तीपुर/भागलपुर/पूर्णिया/गयाजी/दरभंगा/जमुई/मुजफ्फरपुर/सहरसा/भोजपुर/पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञाप संख्या-01/विकास-यो0-240/2026-1684/50 पटना, दिनांक- 11 सितम्बर, 2026

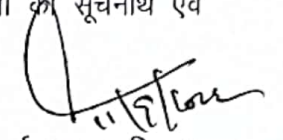
प्रतिलिपि- वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/ उप निदेशक, योजना एवं विकास विभाग, बिहार/उप सचिव, गन्ना उद्योग विभाग/संयुक्त निदेशक, ईख विकास/संयुक्त ईखायुक्त, बिहार, पटना/विशेष कार्य पदाधिकारी-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, गन्ना उद्योग विभाग/विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार/उप निदेशक, ईख विकास, पूसा, मोतीहारी एवं पटना/सभी सहायक निदेशक, ईख विकास तथा प्रबंधक/महाप्रबंधक/कार्यपालक अध्यक्ष, राज्य की सभी कार्यरत चीनी मिल/महाप्रबंधक, प्रतापपुर चीनी मिल/सचिव, बिस्मा/संबंधित के.भी.के./राज्य के कृषि विश्वविद्यालय/सभी विशेष ईख पदाधिकारी एवं ईख पदाधिकारी/SIO, NIC, Patna/वरीय तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. आई0 टी0 प्रबंधक, गन्ना उद्योग विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

ईखायुक्त, बिहार।

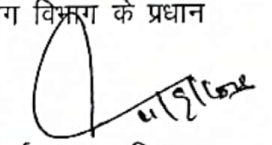
ज्ञाप संख्या-01/विकास-यो0-240/2026-1684/80616 पटना, दिनांक- 11 सितम्बर, 2026

प्रतिलिपि- सभी जिलाधिकारी/निदेशक, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, लखनऊ एवं प्रभारी पदाधिकारी, IISR, लखनऊ-क्षेत्रीय केन्द्र मोतीपुर/निदेशक, ईख अनुसंधान संस्थान, पूसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञाप संख्या-01/विकास-यो0-240/2026-1684/80616 पटना, दिनांक- 11 सितम्बर, 2026

प्रतिलिपि- माननीय मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग के आप्त सचिव/सचिव, गन्ना उद्योग विभाग के प्रधान आप्त सचिव/ईखायुक्त, बिहार के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।


ईखायुक्त, बिहार।

अनुक्रमणिका

क्र. सं.	विषय-वस्तु	पृष्ठ संख्या
1	पृष्ठभूमि	02
2	योजना के उद्देश्य	02-03
3	योजना से होने वाले लाभ	03
4	योजना का कार्यक्षेत्र	03
5	योजना के अधीन पात्रता	03
6	ऑनलाइन आवेदन एवं स्वीकृति की प्रक्रिया	03-05
7	अनुदान-भुगतान की प्रक्रिया एवं अनुदान की दर	05-06
8	पदाधिकारियों एवं कर्मियों के कर्तव्य एवं दायित्व	06-08
9	आवेदन से अनुदान-भुगतान तक की प्रक्रिया (workflow)	09-11
10	स्वीकृति आदेश	12-18

बिहार सरकार
गन्ना उद्योग विभाग

वित्तीय वर्ष 2026-27 में राज्य योजनांतर्गत
“गन्ना की खेती में जैविक उपादान के उपयोग को प्रोत्साहन की योजना”
के कार्यान्वयन हेतु अनुदेश

1. पृष्ठभूमि :-

बिहार में गन्ना उत्पादक किसान मुख्यतः पारंपरिक खेती पद्धतियों पर निर्भर हैं तथा जैविक उत्पादों का उपयोग अभी भी सीमित स्तर पर किया जा रहा है। रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग से मृदा स्वास्थ्य, पर्यावरण, मानव स्वास्थ्य तथा जल स्रोतों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। राज्य सरकार के चतुर्थ कृषि रोड मैप के अंतर्गत गन्ना उत्पादन, उत्पादकता एवं चीनी रिकवरी प्रतिशत में वृद्धि का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए गन्ना की खेती में जैविक उर्वरकों, जैव-कीटनाशियों, हरी खाद, कम्पोस्ट/वर्मीकम्पोस्ट तथा समेकित कीट प्रबंधन (आई.पी.एम.) जैसी पर्यावरण-अनुकूल कृषि तकनीकों को बढ़ावा देना आवश्यक है। जैविक उपादानों के उपयोग से रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों पर निर्भरता कम होने के साथ-साथ मृदा की उर्वरता, जैविक कार्बन एवं सूक्ष्मजीव गतिविधियों में वृद्धि होगी। इसके परिणामस्वरूप गन्ने की गुणवत्ता, सुक्रोज प्रतिशत, चीनी रिकवरी तथा प्रति हेक्टेयर उत्पादन में सुधार होगा और किसानों की उत्पादन लागत में कमी आएगी, जिससे उनकी आय में भी वृद्धि होगी। इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 में राज्य योजना के अंतर्गत गन्ना की खेती में जैविक उपादानों के उपयोग को प्रोत्साहन की योजना संचालित की जा रही है, जिसके तहत विभिन्न जैविक उपादानों के उपयोग हेतु किसानों को अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा।

2. योजना के उद्देश्य :-

- i. **कृषि इनपुट लागत में कमी :** महंगे रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों पर निर्भरता कम करने हेतु जैव उर्वरकों और बायो-पेस्टिसाइड्स पर वित्तीय अनुदान (सब्सिडी) प्रदान कर गन्ने की खेती को लागत प्रभावी बनाना।
- ii. **पारिस्थितिकी-अनुकूल एकीकृत कीट प्रबंधन (IPM) :** गन्ने के मुख्य कीटों (पायरिला, तना छेदक, हवाइट फ्लाई) को बिना रासायनिक विषाक्तता के, लाइट/ फेरोमोन एवं स्टिकी ट्रैप्स के माध्यम से प्रारंभिक स्तर पर ही नियंत्रित करना।



iii. दीर्घकालिक मृदा जीर्णोद्धार : ढ़ैंचा (हरी खाद) एवं वर्मीकम्पोस्ट के अनुप्रयोग से गन्ने की सघन खेती के कारण कठोर हुई मिट्टी की भौतिक संरचना में सुधार करना तथा ऑर्गेनिक कार्बन व सूक्ष्मजीवों का संवर्धन करना।

iv. प्राकृतिक संसाधनों एवं भूजल का संरक्षण : गन्ने की सघन सिंचाई के दौरान रसायनों के रिसाव (Leaching) से होने वाले भूजल प्रदूषण को रोकना तथा मित्र-कीटों व परागणकों का संरक्षण कर जैव विविधता बनाए रखना।

3. योजना से होने वाले लाभ :-

i. जैविक उपादानों के संतुलित प्रयोग से गन्ने के रस की गुणवत्ता एवं सुक्रोज (Sucrose) प्रतिशत में सुधार होगा, जिससे चीनी की रिकवरी दर में प्रत्यक्ष वृद्धि होगी।

ii. जैव उर्वरकों के प्रभाव से गन्ने की लंबाई, मोटाई और वजन में प्राकृतिक सुधार होगा, जिसके परिणामस्वरूप प्रति हेक्टेयर कुल टन उत्पादन (Yield) उन्नत होगा।

iii. हरी खाद एवं जैविक खादों के उपयोग से मिट्टी की जलधारण क्षमता (Water Holding Capacity) सुदृढ़ होगी, जिससे फसल जल संकट या सूखे के प्रति अधिक सहनशील बनेगी।

4. योजना का विस्तार :- योजना का क्रियान्वयन सम्पूर्ण बिहार राज्य के सभी 38 जिलों (चीनी मिल एवं गैर-चीनी मिल क्षेत्रों) में किया जाएगा।

5. योजना की समय-सीमा :- 31 मार्च, 2027 तक होगी।

6. योजना के अधीन पात्रता :-

योजना के अंतर्गत अनुदान प्राप्त करने हेतु निम्नलिखित कृषक पात्र होंगे—

i. ऐसे गन्ना कृषक, जो गन्ना की खेती करते हों तथा जिनके पास वैध गन्ना किसान पंजीकरण आईडी (Sugarcane Farmer Registration ID) उपलब्ध हो।

ii. इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक पात्र कृषक को न्यूनतम 0.25 एकड़ तथा अधिकतम 01 (एक) एकड़ तक के गन्ना क्षेत्र के लिए अनुदान देय होगा।

iii. एक पात्र कृषक योजना के अंतर्गत स्वीकृत एक अथवा एक से अधिक जैविक उपादानों पर, निर्धारित सीमा एवं शर्तों के अधीन, अनुदान प्राप्त करने हेतु आवेदन कर सकेंगे।

iv. इस योजना का लाभ रैयत एवं गैर-रैयत दोनों श्रेणी के पात्र गन्ना कृषकों को देय होगा।

v. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के आवेदक को जाति प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

7. ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया :-

1 ऐसे गन्ना कृषक, जो गन्ना की खेती में जैविक उपादानों का उपयोग करना चाहते हैं तथा उनके क्रय पर अनुदान प्राप्त करने के इच्छुक हैं, वे गन्ना उद्योग विभाग के Cane Care Portal (<http://ccs.bihar.gov.in>) के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करेंगे।

आवेदन के साथ निर्धारित सभी आवश्यक दस्तावेजों को पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होगा।

योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेज अपलोड करना अनिवार्य होगा :

- i. रैयत कृषक के लिए भूमि संबंधी दस्तावेज के रूप में एल०पी०सी० (LPC), जमाबंदी, वंशावली (उत्तराधिकार के मामलों में) अथवा लगान रसीद (इनमें से कोई एक) अपलोड करना आवश्यक होगा।
- ii. गैर-रैयत कृषक के लिए पोर्टल पर उपलब्ध स्व-घोषणा पत्र को विधिवत भरकर अपलोड करना अनिवार्य होगा।
- iii. अनुसूचित जाति (SC) एवं अनुसूचित जनजाति (ST) श्रेणी के आवेदकों के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत वैध जाति प्रमाण-पत्र अपलोड करना अनिवार्य होगा।

8. आवेदन के सत्यापन एवं स्वीकृति पत्र निर्गत करने की प्रक्रिया :-

- i. गन्ना कृषक द्वारा Cane Care Portal पर ऑनलाइन आवेदन एवं निर्धारित दस्तावेज अपलोड किए जाने के उपरांत, आवेदन का भौतिक सत्यापन सहायक निदेशक (ईख विकास) द्वारा प्राधिकृत जन सेवक/ईख प्रसार पदाधिकारी द्वारा अपने Cane Care Portal Login के माध्यम से आवेदन प्राप्ति की तिथि से 05 (पाँच) कार्य दिवसों के भीतर अनिवार्य रूप से किया जाएगा।
- ii. भौतिक सत्यापन के दौरान कृषक की पात्रता, गन्ना फसल का क्षेत्रफल, भूमि संबंधी विवरण, अपलोड किए गए दस्तावेज तथा योजना के अन्य निर्धारित मानकों का सत्यापन किया जाएगा।
- iii. सत्यापन उपरांत पात्र आवेदनों को संबंधित सहायक निदेशक (ईख विकास) द्वारा अपने Cane Care Portal Login के माध्यम से स्वीकृत किया जाएगा तथा अपात्र आवेदनों को कारण अंकित करते हुए अस्वीकृत किया जाएगा।
- iv. आवेदन स्वीकृत होने के उपरांत कृषक के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर सूचना प्रेषित की जाएगी तथा Cane Care Portal के माध्यम से ऑनलाइन स्वीकृति पत्र (Sanction Letter) निर्गत किया जाएगा।
- v. गन्ना कृषक ऑनलाइन स्वीकृति-पत्र निर्गत होने की तिथि से 15 दिनों के भीतर अनुज्ञप्तिधारी विक्रेता से स्वीकृत जैविक उपादानों का क्रय करेंगे।



9. अनुदान-भुगतान की प्रक्रिया :-

- i. जैविक उपादानों का क्रय करने के उपरांत कृषक निर्धारित अवधि के भीतर जी०एस०टी० चालान (GST Invoice)/अभिश्चव, उपादान क्रय एवं उपयोग का जियोटैग्ड (Geo-tagged) फोटो तथा अन्य आवश्यक दस्तावेज Cane Care Portal पर अपलोड करते हुए ऑनलाइन अनुदान दावा प्रस्तुत करेंगे।
- ii. ऑनलाइन प्राप्त अनुदान दावे का भौतिक सत्यापन संबंधित सहायक निदेशक (ईख विकास) अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी जन सेवक/ईख प्रसार पदाधिकारी द्वारा 07 (सात) कार्य दिवसों के भीतर किया जाएगा।
- iii. भौतिक सत्यापन के दौरान जैविक उपादानों के वास्तविक उपयोग, गन्ना फसल में उनके प्रयोग, अपलोड किए गए दस्तावेज तथा अन्य निर्धारित मानकों का सत्यापन किया जाएगा।
- iv. सत्यापन उपरांत दावा सही पाए जाने पर संबंधित सहायक निदेशक (ईख विकास) द्वारा अनुदान स्वीकृत किया जाएगा।
- v. स्वीकृत अनुदान की राशि संबंधित जिला कोषागार से CFMS के माध्यम से सीधे लाभार्थी कृषक के बैंक खाते में अंतरित की जाएगी।
- vi. यदि किसी स्तर पर निर्धारित समय-सीमा के भीतर आवेदन अथवा अनुदान दावे का निष्पादन नहीं किया जाता है, तो संबंधित पदाधिकारी/कर्मियों के विरुद्ध विभागीय नियमों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
- vii. आवेदन, सत्यापन, स्वीकृति, उपादान क्रय एवं अनुदान भुगतान से संबंधित सभी दस्तावेज विभागीय पोर्टल पर सुरक्षित रखे जाएंगे तथा आवश्यकता पड़ने पर उनका निरीक्षण, परीक्षण एवं अंकक्षण किया जा सकेगा।
- viii. यदि किसी भी स्तर पर आवेदन अथवा अनुदान दावे में गलत, भ्रामक अथवा असत्य जानकारी अथवा फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने का मामला प्रकाश में आता है, तो संबंधित दावा निरस्त कर विभागीय एवं अन्य विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी।
- ix. योजना के प्रभावी, पारदर्शी एवं समयबद्ध क्रियान्वयन हेतु सभी संबंधित पदाधिकारी एवं कर्मियों निर्धारित समय-सीमा का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करेंगे तथा अनावश्यक विलंब के लिए उत्तरदायी होंगे।

10. अनुदान दर :-

कार्य अवयव	अनुदान दर/अधिकतम सीमा (दोनों में से जो कम हो)
फेरोमोन ट्रैप / लाइट ट्रैप पर अनुदान	मूल्य का 75 प्रतिशत / अधिकतम 900 रु० प्रति एकड़
स्टीकी ट्रैप/जैव-कीटनाशी (ट्राइकोकार्ड) पर अनुदान	मूल्य का 75 प्रतिशत / अधिकतम 350 रु० प्रति एकड़
जैव-फफूंदनाशी(ट्राइकोडर्मा)/जैव-कीटनाशी (ब्यूवेरिया, मेटाराइजियम) पर अनुदान	मूल्य का 75 प्रतिशत / अधिकतम 500 रु० प्रति एकड़
हरी खाद (ढेंचा) पर अनुदान	मूल्य का 75 प्रतिशत / अधिकतम 500 रु० प्रति एकड़
कम्पोस्ट/वर्मीकम्पोस्ट पर अनुदान	मूल्य का 50 प्रतिशत / अधिकतम 3000 रु० प्रति एकड़
जैव उर्वरक (पी.एस.बी.) /राइजोबियम/एजोटोबैक्टर/एसिटोबैक्टर) पर अनुदान	मूल्य का 50 प्रतिशत / अधिकतम 500 रु० प्रति एकड़

11. कर्मियों एवं पदाधिकारियों का दायित्व :-

11.1 जन सेवक

- योजना के क्रियान्वयन हेतु विभाग द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों एवं मार्गदर्शिका का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।
- गन्ना कृषकों को जैविक उपादानों के उपयोग, उनकी उपयोगिता, लाभ एवं समेकित कीट-व्याधि एवं मृदा प्रबंधन के संबंध में आवश्यक तकनीकी परामर्श एवं जानकारी प्रदान करेंगे।
- इच्छुक गन्ना कृषकों को Cane Care Portal के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करने हेतु प्रेरित एवं आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।
- कृषकों द्वारा समर्पित ऑनलाइन आवेदन में अंकित गन्ना क्षेत्र एवं प्रस्तावित जैविक उपादानों की आवश्यकता का स्थलीय सत्यापन कर आवेदन को 05 (पाँच) कार्य दिवसों के भीतर संबंधित सहायक निदेशक (ईख विकास) की स्वीकृति हेतु अग्रसारित करना सुनिश्चित करेंगे।
- आवेदन में अंकित गन्ना क्षेत्र, भूमि की स्थिति (रैयत/गैर-रैयत) एवं अन्य आवश्यक विवरणों का सत्यापन करेंगे।

11.2 ईख प्रसार पदाधिकारी

- योजना के प्रभावी क्रियान्वयन, अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण का नियमित रूप से निर्वहन करेंगे।
- योजना के संचालन के दौरान किसी भी प्रकार की अनियमितता अथवा त्रुटि पाए जाने पर तत्काल सहायक निदेशक (ईख विकास) को सूचित करेंगे।
- जनसेवकों द्वारा ऑनलाइन आवेदनों का समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित करेंगे। साथ ही, कृषकों द्वारा समर्पित ऑनलाइन आवेदनों में अंकित गन्ना क्षेत्र तथा प्रस्तावित जैविक उपादानों की आवश्यकता का स्थलीय सत्यापन कर आवेदन को 05 (पाँच) कार्य दिवसों

के भीतर संबंधित सहायक निदेशक (ईख विकास) की स्वीकृति हेतु अग्रसारित करना सुनिश्चित करेंगे।

iv अपने कार्यक्षेत्र के लिए आवंटित लक्ष्य की शत-प्रतिशत उपलब्धि सुनिश्चित करेंगे।

v योजना के संबंध में विभाग द्वारा निर्गत मार्गदर्शिका, दिशा-निर्देशों एवं अन्य आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

11.3 सहायक निदेशक (कीटविद्/व्याधिविद्)

i अपने क्षेत्राधीन जिलों में संचालित गन्ना की खेती में जैविक उपादानों के उपयोग को प्रोत्साहन योजना का नियमित पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण करेंगे।

ii गन्ना फसल में फेरोमोन ट्रैप/लाइट ट्रैप, स्टिकी ट्रैप/जैव-नियंत्रण एजेंट (ट्राइकोकार्ड), जैव-फफूंदनाशी (ट्राइकोडर्मा), जैव-कीटनाशी (ब्यूवेरिया एवं मेटाराइजियम), हरी खाद (ढेंचा), जैव-उर्वरक (पी.एस.बी., राइजोबियम, एजोटोबैक्टर एवं एसिटोबैक्टर), कम्पोस्ट/वर्मीकम्पोस्ट तथा विभाग द्वारा स्वीकृत अन्य जैविक उपादानों के उपयोग, उनकी अनुशंसित विधि एवं उनसे होने वाले लाभों के संबंध में कृषकों के बीच व्यापक प्रचार-प्रसार एवं जनजागरूकता सुनिश्चित करेंगे।

iii योजना के निर्धारित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों की शत-प्रतिशत उपलब्धि सुनिश्चित कराने हेतु संबंधित सहायक निदेशक (ईख विकास) को आवश्यक तकनीकी एवं प्रशासनिक सहयोग प्रदान करेंगे।

11.4 सहायक निदेशक (ईख विकास)

i सहायक निदेशक (ईख विकास) जिला स्तर पर योजना के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी पदाधिकारी होंगे। उनके द्वारा आवंटित लक्ष्य का वितरण कर योजना का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाएगा।

ii योजना के अंतर्गत प्राप्त सभी आवेदनों की जाँचोपरान्त पात्र आवेदनों को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करेंगे।

iii जैविक उपादानों के उपयोग एवं वितरण का सत्यापन कर आवश्यक प्रतिवेदन तैयार करेंगे।

iv योजना की शत-प्रतिशत उपलब्धि सुनिश्चित करना संबंधित सहायक निदेशक (ईख विकास) का दायित्व होगा।

v योजना के अंतर्गत अनुज्ञप्तिधारी विक्रेताओं के माध्यम से जैविक उपादानों की उपलब्धता समयबद्ध रूप से सुनिश्चित करेंगे।

vi योजना के अंतर्गत संधारित दस्तावेज एवं वित्तीय विवरणों को अंकेक्षण (Audit) हेतु सुरक्षित रखेंगे तथा आवश्यकतानुसार उपलब्ध कराएंगे।

vii योजनान्तर्गत अधीनस्थ जिलों को आवंटित लक्ष्य का कम-से-कम 20 (बीस) प्रतिशत निरीक्षण सहायक निदेशक (ईख विकास) द्वारा किया जाएगा।

11.5 उप निदेशक (ईख विकास)

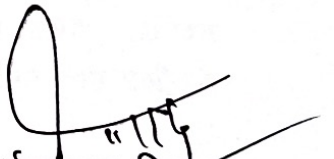
- i उप निदेशक (ईख विकास) अपने क्षेत्राधीन जिलों में योजना के क्रियान्वयन का नियमित पर्यवेक्षण करेंगे तथा अधीनस्थ जिलों के आवंटित लक्ष्य का कम-से-कम 5 (पाँच) प्रतिशत निरीक्षण करेंगे।
- ii योजना के भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों की प्राप्ति में आ रही समस्याओं के निराकरण हेतु आवश्यक प्रशासनिक एवं तकनीकी कार्रवाई करेंगे।
- iii अधीनस्थ जिलों द्वारा योजना के भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों की प्राप्ति में अपेक्षित प्रगति नहीं होने की स्थिति में संबंधित उप निदेशक (ईख विकास) भी उत्तरदायी होंगे।

11.6 संयुक्त निदेशक, ईख विकास एवं प्रभारी सहायक निदेशक (शस्य)

- i. मुख्यालय स्तर पर योजना के अनुश्रवण हेतु संयुक्त निदेशक, ईख विकास नोडल पदाधिकारी तथा इस योजना के प्रभारी सहायक निदेशक (शस्य) उप नोडल पदाधिकारी होंगे।
- ii. योजना का समय-समय पर उचित माध्यम से समीक्षा करना।
- iii. योजना के कार्यान्वयन के क्रम में क्षेत्रीय कार्यालयों से प्राप्त पत्रों का त्वरित निष्पादन कराकर निदेश उपलब्ध कराना।
- iv. केन केयर पोर्टल पर योजना के प्रगति का पर्यवेक्षण करना एवं आने वाले समस्याओं का एन.आई.सी. से समन्वय कर ससमय निराकरण कराना।
- v. योजना के ऑनलाईन दैनिक/साप्ताहिक प्रगति प्रतिवेदन को ईखायुक्त, बिहार एवं सचिव, गन्ना उद्योग विभाग को उपलब्ध कराना।
- vi. योजना का समय-समय पर यथा आवश्यक निरीक्षण करना।

11.7 ईखायुक्त

- i. मुख्यालय स्तर पर योजना के प्रगति की समीक्षा करना एवं योजना के सफल कार्यान्वयन हेतु समय-समय पर आवश्यक निदेश एवं मार्गदर्शन प्रदान करना।
- ii. योजना के कार्यान्वयन हेतु विहित प्रक्रिया में आ रही समस्याओं के समाधान के संबंध में यथासमय निदेश दिया जायेगा।


ईखायुक्त, बिहार।

गन्ना की खेती में जैविक उपादानों के उपयोग को प्रोत्साहन योजना हेतु आवेदन से
अनुदान—भुगतान तक की कार्यप्रणाली (Workflow)

चरण-1: योजना का चयन

- i. गन्ना कृषक Cane Care Portal पर लॉगिन कर उपलब्ध योजनाओं में से गन्ना की खेती में जैविक उपादानों के उपयोग को प्रोत्साहन योजना का चयन करेंगे।



चरण-2 : आवेदन प्रपत्र भरना

- 1 कृषक अपनी गन्ना किसान पंजीकरण आई०डी० (Cane Registration ID) के माध्यम से आवेदन प्रपत्र खोलेंगे। आवेदन प्रपत्र में निम्न विवरण अंकित करेंगे—
 - i. जैविक उपादान के 06 अवयवों में से एक अथवा एक से अधिक अवयवों का चयन।
 - ii. प्रत्येक चयनित अवयव हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल (एकड़/हेक्टेयर) का विवरण।
 - iii. रैयत कृषक के लिए भूमि संबंधी दस्तावेज के रूप में एल०पी०सी० (LPC), जमाबंदी, वंशावली (उत्तराधिकार के मामलों में) अथवा लगान रसीद (इनमें से कोई एक) अपलोड करना आवश्यक होगा।
 - iv. गैर-रैयत कृषक के लिए पोर्टल पर उपलब्ध स्व-घोषणा पत्र को विधिवत भरकर अपलोड करना अनिवार्य होगा।
 - v. अनुसूचित जाति (SC) एवं अनुसूचित जनजाति (ST) श्रेणी के आवेदकों के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत वैध जाति प्रमाण-पत्र अपलोड करना अनिवार्य होगा।



चरण-3 : ऑनलाइन आवेदन जमा करना

- i. सभी विवरण भरने के उपरांत कृषक आवेदन ऑनलाइन समर्पित करेंगे। आवेदन सफलतापूर्वक समर्पित होने पर पोर्टल पर पुष्टिकरण संदेश प्रदर्शित होगा तथा पंजीकृत मोबाइल नंबर पर सूचना प्रेषित की जाएगी।



चरण-4 : आवेदन का सत्यापन

- i. ऑनलाइन आवेदन संबंधित सहायक निदेशक (ईख विकास) के लॉगिन पर अग्रसारित होगा। सहायक निदेशक (ईख विकास) अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी जन

सेवक/ईख प्रसार पदाधिकारी आवेदन एवं संलग्न दस्तावेज का 05 (पाँच) कार्य दिवसों के भीतर भौतिक सत्यापन करेंगे।



चरण-5 : आवेदन का स्वीकृति/अस्वीकृति

सत्यापन उपरांत—

- i. पात्र आवेदन स्वीकृत किए जाएंगे तथा कृषक को Cane Care Portal माध्यम से ऑनलाइन स्वीकृति पत्र (Sanction Letter) निर्गत किया जाएगा।
- ii. अपात्र आवेदन अस्वीकृत किए जाएंगे तथा अस्वीकृति का कारण (Remarks) पोर्टल पर अंकित करना अनिवार्य होगा।



चरण-6 : जैविक उपादानों का क्रय

- i. कृषक ऑनलाइन स्वीकृति-पत्र निर्गत होने की तिथि से 15 दिनों के भीतर अनुज्ञप्तिधारी विक्रेता से स्वीकृत जैविक उपादानों का क्रय करेंगे।



चरण-7 : अनुदान दावा (Claim For Subsidy)

- 1 उपादानों का क्रय करने के उपरांत कृषक Cane Care Portal पर ऑनलाइन अनुदान दावा प्रस्तुत करेंगे। दावा प्रस्तुत करते समय निम्न दस्तावेज अपलोड करना अनिवार्य होगा—
 - i. जी०एस०टी० चालान (GST Invoice)
 - ii. उपादान क्रय एवं उपयोग का जियोटैग्ड फोटो (Geo-tagged Photograph)
 - iii. अन्य निर्धारित दस्तावेज (यदि आवश्यक हों)
- 2 दावा सफलतापूर्वक समर्पित होने पर पोर्टल पर पुष्टिकरण संदेश प्रदर्शित होगा तथा संबंधित सहायक निदेशक (ईख विकास) के लॉगिन पर अग्रसारित हो जाएगा।



चरण-8 : अनुदान दावे का सत्यापन

- i. सहायक निदेशक (ईख विकास) अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी कृषक द्वारा अपलोड किए गए जी०एस०टी० चालान (Invoice), जियोटैग्ड फोटो तथा जैविक उपादानों के उपयोग का भौतिक सत्यापन किया जाएगा।



चरण-9 : दावा स्वीकृति / अस्वीकृति

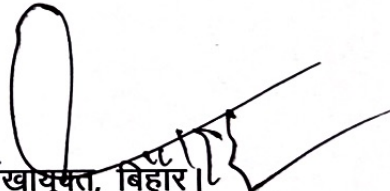
सत्यापन उपरांत—

- i. दावा सही पाए जाने पर अनुदान स्वीकृत किया जाएगा।
- ii. दावा असंगत अथवा अपूर्ण पाए जाने पर अस्वीकृत किया जाएगा तथा अस्वीकृति का कारण (Remarks) पोर्टल पर अंकित करना अनिवार्य होगा।



चरण-10 : अनुदान भुगतान

- i. सम्बंधित सहायक निदेशक (ईख विकास) के द्वारा स्वीकृत अनुदान की राशि CFMS के माध्यम से सीधे लाभार्थी कृषक के बैंक खाते में अंतरित की जाएगी।


ईखायुक्त, बिहार।